(12)

जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–नोडल पदाधिकारी
आर०टी०ई०, राँची
मध्य विद्यालय बी०एम०पी०–1 डोरण्डा परिसर, राँची–834002
0651-2490065 (Office), Fax-2490064
Email- rteranchi@gmail.com, Website : www.dseranchi.com

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

पत्रांक 31 /

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधीक्षक,
राँची

सेवा में,

निदेशक,
प्राथमिक शिक्षा
झारखण्ड, राँची

राँची, दिनांक 27/01/17

विषयः– जे0के0 इन्टरनेशनल स्कूल, अगडू रातु राँची को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत् विद्यालय को मान्यता प्रदान करने हेतु विभागीय सहमति प्रदान के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 56 दिनांक 11/05/2011 के तहत् जे0के इन्टरनेशनल स्कूल अगडू, रातु राँची द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के पंजीयन हेतु समर्पित आवेदन के आलोक में कार्यालय पत्रांक 179, दिनांक 09/09/2016 के आलोक में प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी रातु की अध्यक्षता में जाँच टीम गठित कर विद्यालय की स्थालीय जाँच करवाई गई। स्थलीय निरीक्षण के आधार पर विद्यालय को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मानकों के अनुरूप पाया गया, जिसकी विवरणी निम्नवत है।

1) विद्यालय का संचालन सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम् 21, 1860 के अधीन संचालित है। संख्या का निबंधन प्रमाण पत्र संख्या 793/2010–11 है। पंजीयन संबंधित अभिलेख आवेदन के साथ संलगन है।

2) विद्यालय अपने स्वनिरमित भवन में संचालित है। भवन का निर्माण विद्यालय की भूमि में किया गया है । जिसका कुल रकवा 3 एकड़ 30 डिसमिल है तथा जिसका खाता संख्या 152 तथा प्लॉट संख्या 273, 273, 274 है। जिसके संबंध में अभिलेख आवेदन के साथ संलग्न किया जाता है।

3) विद्यालय के पास खेल कूद मैदान उपलब्ध है जिसका क्षेत्रफल 01 एकड़ 50 डिसमिल है।

4) विद्यालय में कुल 249 बच्चे अध्ययनरत हैं जिसके लिए 17 शिक्षक कार्यरत हैं। जिसमें से 13 प्रशिक्षित शिक्षक हैं। विद्यालय पूर्व प्राथगिक से उच्च प्राथमिक स्तर तक संचालित है।

कक्षा	नामांकित छात्र/छात्रा	उपलब्ध शिक्षक
पूर्व प्राथमिक	55	3
प्राथमिक (1–5)	122	5
उच्च प्राथमिक (6–8)	72	5

5) पुस्तकालय -- विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था पाई गई तथा बच्चों के पढ़ने हेतु 2956, पुस्तकें तथा 5, समाचार पत्र नियमित रूप से उपलब्ध रहते है।

6) पेयजल व्यवस्था – विद्यालय के पास पेयजल की व्यवस्था के रूप में 04 बोरिंग कर आर0ओ0 की व्यवस्था किया गया है।

7) शौचालय -- विद्यालय के पास बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय/मत्रालय उपलब्ध है जो निम्नवत है

बालक मूत्रालय -- 10
बालक शौचालय – 10
बालिका मूत्रालय – 10
बालिका शौचालय – 10

8) बाधा रहित पहुँच – विद्यालय में बाधा रहित पहुँच है तथा विद्यालय में बाधा रहित पहूँच है तथा रैम्प की व्यवस्था की गई।

9) शिक्षक अधिगम सामग्री -- विद्यालय में अधिगम सामग्री आवश्यकता अनुसार उपलब्ध है। आवेदन के साथ सूची संलग्न है।

10. खेल कूद सामग्री – विद्यालय में खेल कूद सामग्री उपलब्ध है, जिसकी सूची आवेदन के साथ संलग्न है।

11. बेंच डेस्क – बच्चों के बैठने हेतु वर्ग में बेंच डेरक की व्यवस्था की गई है।

... विद्यालय अपने भवन में संचालित है तथा कुल 19 कक्ष उपलब्ध पाये गये।

जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–नोडल पदाधिकारी
आर०टी०ई०, राँची
मध्य विद्यालय बी०एम०पी०–1 डोरण्डा परिसर, राँची–834002
☎ 0651-2490065 (Office), Fax-2490064
Email- rteranchi@gmail.com, Website : www.dseranchi.com

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

क्र0 सं0	कक्षा	वर्गों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या
1	पूर्व प्राथमिक	1	28
2	शिशु	2	55
3	प्राथमिक 1–5	5	122
4	उच्च प्राथमिक 6–8	3	72

13. विद्यालय द्वारा वित्तीय प्रबंधन हेतु विद्यालय का लेखा अंकेक्षण कराया गया है। लेखा अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14 2014–15 संलग्न है।

14 विद्यालय द्वारा सतत एवं समग्र मूल्यांकन पद्धति के माध्यम से बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है।

अतः जे0के0 इन्टरनेशनल स्कूल, अगड़ू रातु राँची के चेयरमैन द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत मान्यता हेतु समर्पित स्वः घोषणा सह आवेदन पर कराई गई स्थालीय जाँच प्रतिवेदन (जाँच दल द्वारा भरा गया पत्रक) एवं संबंधित अभिलेखों की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि कृपया विद्यालय को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत् प्रारंभिक विद्यालय (कक्षा 1 से 8) हेतु अर्हता रखने के कारण मान्यता प्रदान करने हेतु विभागीय सहमति प्रदान करने की कृपा की जाय।

विश्वाभाजन

27/11/2017

जिला शिक्षा अधीक्षक
राँची

अनुलग्नकः–1 चेयरमैन जे0के0 इन्टरनेशनल स्कूल अगड़ू रातु द्वारा समर्पित पत्र में आवेदन तथा उससे संबंधित वांछित अभिलेख की प्रति।

2 विद्यालय के स्थालीय जाँच के आधार पर भरा गया पत्रक की प्रति।

O/C